समक्ष जे. वी. गुप्ता, जे.

जगदीश लाल और अन्य, - अपीलकर्ता,

बनाम

सुरेंद्र कुमार और अन्य,-प्रतिवादी।
1984 की निष्पादन द्वितीय अपील संख्या 240
24 जुलाई 1984

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5) - धारा 47 और आदेश 21, नियम 97, 99, 101 और 103 - अचल संपत्ति के कब्जे के लिए डिक्री - निष्पादन - आदेश 21 नियम 97 के तहत डिक्री धारक द्वारा फैसले में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर करना -ऋणी-निर्णय-उत्तर में देनदार नई किरायेदारी का दावा करता है और पहुंच भुगतान को खारिज करने की मांग करता है, निर्णयों पर आपत्ति करता है और डिक्री को निष्पादन योग्य मानता है-ट्रायल कोर्ट-क्या माना जाता है कि उसने धारा 47 के तहत आपत्तियों का निर्णय कर लिया है-एक एसेंस्ट, ट्रायल कोर्ट के आदेश - क्या रखरखाव योग्य है - 21 नियम 97 के तहत और दोनों के बीच अंतर बताया गया है।

माना गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 47 के तहत मुकदमे के पक्षकारों के बीच डिक्री के निष्पादन, निर्वहन या संतुष्टि से संबंधित उत्पन्न होने वाले प्रश्न शामिल हैं, जबकि आदेश 21 के तहत, संहिता के नियम 101 के साथ पढ़े जाने वाले नियम 97 में प्रश्न शामिल हैं। नियम 97 या आदेश 21 के नियम 99 के तहत किसी आवेदन पर कार्यवाही के पक्षकारों के बीच संपत्ति में उत्पन्न होने वाले अधिकार, स्वामित्व या हित से संबंधित मुद्दों को निष्पादन न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाना है। डिक्री-धारक की ओर से दायर आवेदन पर दायर उत्तर-सह-आपत्ति याचिका संहिता के आदेश 21, नियम 97 के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आती थी। आदेश 21 के नियम 97 की भाषा में प्रावधान है कि जहां अचल संपत्ति पर कब्जे की डिक्री धारक का संपत्ति पर कब्जा प्राप्त करने में किसी व्यक्ति द्वारा विरोध किया जाता है या बाधा उत्पन्न की जाती है, तो वह ऐसे प्रतिरोध या बाधा की शिकायत करते हुए न्यायालय में आवेदन कर सकता है। . इस्तेमाल की गई भाषा "किसी भी व्यक्ति द्वारा बाधित" है। यह निर्णय-देनदार या किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा हो सकता है। नियम 97 का उप-नियम (2) आगे यह प्रावधान करता है कि जहां उप-नियम (1) के तहत एक आवेदन किया जाता है, न्यायालय उसके तहत निहित प्रावधानों के अनुसार आवेदन पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ेगा। नियम 101 के साथ पढ़े जाने वाले इन सभी नियमों का संचयी प्रभाव यह है कि यदि आदेश 21, नियम 97 के तहत कोई आवेदन किया जाता है, तो उसका निर्धारण नियम 101 के तहत होगा और फिर नियम 103 आगे यह प्रावधान करता है कि जहां एक आवेदन पर नियम 98 के तहत फैसला सुनाया

जाता है या 100, उस पर दिए गए आदेश में वही बल होगा और अपील या अन्यथा के लिए समान शर्तों के अधीन होगा जैसे कि यह एक डिक्री थी। इस प्रकार, संहिता की धारा 47 और आदेश 21, नियम 101 विभिन्न स्थितियों पर विचार करते हैं। धारा 47 के तहत, डिक्री के निष्पादन, निर्वहन या संतुष्टि से संबंधित सभी प्रश्नों का निर्धारण निष्पादन न्यायालय द्वारा किया जाना है, जबकि नियम 101 के तहत उत्पन्न होने वाली संपत्ति में अधिकार, शीर्षक या हित से संबंधित प्रश्नों सहित सभी प्रश्न

कार्यवाही के पक्षों के बीच का निर्धारण कार्यकारी न्यायालय द्वारा किया जाना है। इस प्रकार, दोनों प्रावधानों के बीच कोई विरोधाभास नहीं है। धारा 47 एक सामान्य प्रावधान है जबकि आदेश 21 नियम 97 और 101 एक विशिष्ट स्थिति से संबंधित हैं। इसके अलावा, धारा 47 सभी प्रकार के डिक्री के निष्पादन से संबंधित है जबकि आदेश 21 नियम 97 और 101 केवल कब्जे के लिए डिक्री के निष्पादन से संबंधित है। इसके अलावा, 1976 में संहिता में संशोधन के तहत आदेश 47 के तहत आने वाले प्रत्येक आदेश को अपील योग्य बनाया गया था, जबकि अब आदेश 21 के तहत केवल कुछ आदेशों को ही अपील योग्य बना दिया गया है। निर्णय-ऋणी की आपत्तियों को स्वीकार करते हुए और उसे मानने वाले न्यायालय के आदेश को संहिता के आदेश 21 के नियम एमएल के साथ पढ़े जाने वाले एमई एमएस के तहत अपील करने योग्य था।

श्री कृष्णकांत अग्रवाल, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रोहतक की अदालत के 17 जनवरी, 1984 के आदेश से निष्पादन दूसरी अपील, श्री जे. उत्तरदाताओं जे.डी. की उत्तर-सह-आपत्ति याचिका, और आगे यह मानते हुए कि श्री पी.एल. गोयल, तत्कालीन उप-न्यायाधीश, द्वितीय श्रेणी, रोहतक द्वारा 1979 के सिविल सूट संख्या 41 में पारित डिक्री संतुष्ट नहीं हुई है, लेकिन अभी भी है जगदीश लाल और सुरेश कुमार, प्रतिवादी-जे.डी. के विरुद्ध भी निष्पादन योग्य। डी.एच.एस. डिक्री के उचित निष्पादन के लिए निष्पादन न्यायालय में आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अपीलकर्ता की ओर से वकील एस. सी. कपूर।

आर.एस.मित्तल, वरिष्ठ अधिवक्ता (एन.के. खोसला और हर्ष कुमार,

नंबर 1 के लिए उनके साथ वकील।)

बेंच: जे गुप्ता

निर्णय

1. इस अपील को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:-

सुरिंदर कुमार और जय नारायण के अन्य बेटों ने 24 फरवरी, 1979 को जगदीश लाल और सुरेश कुमार अपीलकर्ताओं के खिलाफ विवाद में दुकान के कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया। प्रतिवादियों द्वारा ली गई मुख्य दलील यह थी कि वे पहले किरायेदार थे बंधक और, इसलिए,

बंधक को छुड़ाने पर भी उन्हें बेदखल नहीं किया जा सकता था। हालाँकि, ट्रायल कोर्ट ने 2 अगस्त, 1980 को मुकदमे का फैसला सुनाया। इसके तुरंत बाद, 7 अगस्त, 1980 को डिक्री धारकों की ओर से एक निष्पादन आवेदन दायर किया गया। इस बीच, ट्रायल कोर्ट के उक्त डिक्री के खिलाफ एक अपील दायर की गई थी। दायर किया गया और उसमें डिक्री के निष्पादन पर रोक लगाने का आदेश प्राप्त किया गया। उक्त अपील 11 फरवरी, 1981 को खारिज कर दी गई थी। इसके बाद, निष्पादन आवेदन बहाल कर दिया गया और 24 फरवरी, 1981 को कब्जे के वारंट जारी किए गए। 25 फरवरी, 1981 को, जब वारंट निष्पादित किए जा रहे थे, तो निर्णय-देनदारों ने विरोध किया। वही और विवादित दुकान पर कब्जा दिलाने में बाधा डाली। इसके परिणामस्वरूप, डिक्री-धारक सुरिंदर कुमार ने ओ. 21 आर. 97, सी.पी.सी. के तहत एक आवेदन दायर किया। जिसमें प्रार्थना की गई कि नए वारंट के साथ कब्जा दिलाने के लिए ताला आदि तोड़ने के आदेश के साथ पुलिस सहायता के आदेश दिए जाएं। 18 मार्च, 1981 को, निर्णय-देनदार सुरेश कुमार और जगदीश लाल ने एक आवेदन दायर किया, जिसका उद्देश्य ओ. 21, आरआर के तहत डिक्री धारकों की ओर से दायर आवेदन का उत्तर देना था। 97 और 98, सी.पी.सी. उसमें यह प्रार्थना की गई थी कि न्यायालय द्वारा O. 21 R. 97, C.P.C. के तहत जारी किए गए नोटिस। कृपया इसे वापस ले लिया जाए और निष्पादन आवेदन खारिज कर दिया जाए क्योंकि यह निष्पादन योग्य नहीं है। उसमें कहा गया था कि 11 फरवरी, 1981 को निर्णय-देनदारों की ओर से दायर अपील खारिज होने के बाद, डिक्री धारकों में से एक अशोक कुमार से किराया बढ़ाने और उन्हें कब्जा जारी रखने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था। उनके अनुसार अशोक कुमार किराया दोगुना करने और उन्हें किरायेदार के रूप में बने रहने की अनुमति देने पर सहमत हुए, बशर्ते कि छह महीने का किराया अग्रिम भुगतान किया जाए। तदनुसार, उन्होंने अशोक कुमार को रुपये का भुगतान किया। 15 फरवरी, 1981 से 14 अगस्त, 1981 तक अग्रिम किराये के रूप में 300/-, जिसके लिए अशोक कुमार द्वारा सुरेश कुमार के पक्ष में एक रसीद निष्पादित की गई थी। इन तथ्यों पर, यह तर्क दिया गया कि आपत्तिकर्ता विवादित संपत्ति पर किरायेदार के रूप में अपने अधिकार में हैं और उन्हें निष्पादन कार्यवाही में बाहर नहीं किया जा सकता है, जो इस प्रकार निष्पादन योग्य नहीं है। पक्षों की दलीलों पर, निष्पादन न्यायालय ने निम्नलिखित मुद्दे तय किए: -

1) क्या अशोक कुमार डिक्री-धारक ने 15 फरवरी 1981 को सुरेश कुमार के पक्ष में एक नई किरायेदारी बनाई?

2) क्या अशोक कुमार को अग्रिम किराया रु. 300/- 15-2-1981 से 14-8-1981 तक और इस संबंध में रसीद भी निष्पादित की:

3) क्या अशोक कुमार सुरेश कुमार के विवाद में परिसर को किराये पर देने में सक्षम नहीं थे जैसा कि उत्तर में आरोप लगाया गया है?

निष्पादन न्यायालय ने मुद्दे संख्या (1) और (2) के तहत, एक साथ चर्चा की, पाया कि फ़ाइल पर यह स्थापित किया गया था कि मालिकों-मकान मालिकों में से एक अशोक कुमार ने 15 फरवरी को आपत्तिकर्ताओं के पक्ष में नई किरायेदारी बनाई थी। 1981 और छह महीने के लिए दोगुनी दर पर अग्रिम किराया प्राप्त किया, यानी 15 फरवरी, 1981 से 14 अगस्त, 1981 तक। अंक संख्या (3) के तहत, यह माना गया कि यह स्थापित नहीं हुआ था कि अशोक कुमार नहीं थे। सुरेश कुमार को दुकान किराए पर देने के लिए सक्षम। इन निष्कर्षों के मद्देनजर, आपत्ति याचिका की अनुमति दी गई और डिक्री को निष्पादन योग्य नहीं माना गया। सुरिंदर कुमार डिक्री-धारक की ओर से दायर अपील में, एक प्रारंभिक आपत्ति ली गई थी कि इस तरह की अपील सुनवाई योग्य नहीं थी, क्योंकि आपत्तियों को सिविल पी.सी. की धारा 47 के तहत तय किया गया माना जाएगा। और संशोधित सिविल पी.सी. के अनुसार कोई भी अपील सक्षम नहीं थी। हालाँकि, विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने उक्त प्रारंभिक आपत्ति को खारिज कर दिया क्योंकि यह पाया गया कि आपत्तियाँ O. 21 R. 97 सिविल P. C. के तहत कार्यवाही में और O. 21, R, के प्रावधानों के मद्देनजर दायर की गई थीं। संहिता की धारा 103 के अनुसार, यह एक डिक्री के बराबर है और इस प्रकार अपील कायम रखने योग्य थी। गुण-दोष के आधार पर, निचली अपीलीय अदालत ने पाया कि मुद्दे (1) और (2) के तहत निष्पादन न्यायालय का निष्कर्ष सही था। हालाँकि, यह भी पाया गया कि डिक्री-धारक सुरिंदर कुमार 6 अप्रैल, 1979 से विभाजन डिक्री प्रदर्शन डीएच/1 के आधार पर विवादित दुकान के विशेष मालिक बन गए थे और इसलिए, अशोक कुमार दुकान का किराया देने में सक्षम नहीं थे। सुरेश कुमार को विवाद में दुकान से बाहर कर दिया। इस निष्कर्ष के मद्देनजर यह निष्कर्ष निकाला गया कि सुरेश कुमार और जगदीश लाल आपत्तिकर्ता विवाद में दुकान के किरायेदार नहीं बने, जैसा कि उनके द्वारा दावा किया गया था। नतीजतन, अपीलकर्ताओं की ओर से 18 मार्च, 1981 को दायर उत्तर-सह-आपत्ति याचिका खारिज कर दी गई। इससे असंतुष्ट होकर आपत्तिकर्ताओं ने इस न्यायालय में यह द्वितीय अपील दायर की है।

2. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि निष्पादन न्यायालय ने आपत्ति याचिका की अनुमति देते समय, सिविल पी.सी. की धारा 47 के तहत निर्णय लिया है और इसलिए, इसके खिलाफ कोई अपील सक्षम नहीं थी। निष्पादन न्यायालय का उक्त आदेश। विद्वान वकील के अनुसार, तैयार किए गए मुद्दों की प्रकृति और अपीलकर्ताओं की ओर से दायर की गई आपत्तियों से, यह काफी सबूत था कि वे डिक्री के निष्पादन, निर्वहन या संतुष्टि से संबंधित हैं और इसलिए, वे प्रावधानों के अंतर्गत आते थे। सिविल पी.सी. की धारा 47 की और निचली अपीलीय अदालत द्वारा यह गलत माना गया है कि आपत्ति याचिका ओ. 21 आर. 97 के तहत कार्यवाही में दायर की गई मानी जाएगी और ओ. 21 आर. 103 के तहत तय की गई होगी। सिविल पी.सी. विद्वान वकील का मुख्य तर्क यह है कि आपत्तियां पूरी तरह से एस. 47 के अंतर्गत आती हैं न कि ओ. 21 आर. 97 सिविल पी.सी. के अंतर्गत। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने धरमदेवन बनाम केसवन उन्नीपारन, एआईआर 1971 केर 221 का उल्लेख

किया। : संता सिंह बनाम डायल सिंह, 1980 पुन एलजे 551: (एआईआर 1981 पुन एवं हर 26); यू.पी. राज्य बनाम महेंद्र त्रिपाठी AIR 1984 सभी 59: और श्री 108 पूज्य पाद अद्वैत पंच परमेश्वर पंचायती अखाड़ा बारा उदासीन निर्माण बनाम रामेश्वर मंडल, AIR 1984 पैट 95।

3. इस बिंदु पर पार्टियों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, मुझे इस विवाद में कोई बल नहीं मिला। सिविल पी.सी. की धारा 47 के तहत मुकदमे के पक्षकारों के बीच डिक्री के निष्पादन, निर्वहन या संतुष्टि से संबंधित उत्पन्न होने वाले प्रश्न शामिल हैं, जबकि ओ. 21 आर. 97 के तहत सिविल पी.सी. की आर. 101 के साथ पठित प्रश्न शामिल हैं। आर के तहत एक आवेदन पर कार्यवाही के पक्षकारों के बीच संपत्ति में उत्पन्न होने वाले अधिकार, शीर्षक या हित के लिए। ओ. 21 के 97 या आर. 99 का निर्धारण निष्पादन न्यायालय द्वारा किया जाना है। इसलिए अपीलकर्ताओं की ओर से यह सफलतापूर्वक तर्क नहीं दिया जा सका कि 2 मार्च 1981 को डिक्री धारक की ओर से दायर आवेदन पर दायर उत्तर-सह-आपत्ति याचिका ओ. 21 के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आती थी। आर. 97, सिविल पी. सी. ओ, 21 के आर. 97 की भाषा में प्रावधान है कि जहां अचल संपत्ति पर कब्जे के लिए डिक्री धारक का संपत्ति पर कब्जा प्राप्त करने में किसी व्यक्ति द्वारा विरोध किया जाता है या बाधा उत्पन्न की जाती है, तो वह इसके लिए आवेदन कर सकता है। न्यायालय ऐसे प्रतिरोध या बाधा की शिकायत कर रहा है। इस्तेमाल की गई भाषा "किसी भी व्यक्ति द्वारा बाधित" है। यह निर्णय-देनदार या किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा हो सकता है। उक्त आर. 97 का उप-नियम (2) आगे यह प्रावधान करता है कि जहां उप-नियम (1) के तहत एक आवेदन किया जाता है, न्यायालय उसके तहत निहित प्रावधानों के अनुसार आवेदन पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ेगा। ओ. 21 के आर. 98 का उप-नियम (2) आगे यह प्रावधान करता है कि जहां इस तरह के निर्धारण पर, न्यायालय संतुष्ट है कि प्रतिरोध या बाधा निर्णय-देनदार या उसके कहने पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बिना किसी उचित कारण के उत्पन्न की गई थी। या अपनी ओर से, वह निर्देश देगा कि आवेदक को संपत्ति का कब्ज़ा दिया जाए। O. 21 का नियम 101 निम्नानुसार प्रदान करता है: -

"........... आर. 97 या आर. 99 या के तहत एक आवेदन पर कार्यवाही के पक्षकारों के बीच उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्न (संपत्ति में अधिकार, शीर्षक या हित से संबंधित प्रश्न सहित) उनके प्रतिनिधि, और आवेदन के न्यायनिर्णयन के लिए प्रासंगिक, आवेदन से निपटने वाले न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, न कि एक अलग मुकदमे द्वारा और इस उद्देश्य के लिए, न्यायालय किसी भी अन्य कानून में किसी भी प्रतिकूल बात के बावजूद कुछ समय के लिए लागू होने पर, ऐसे प्रश्नों पर निर्णय लेने का क्षेत्राधिकार माना जाएगा।"

इस प्रकार इन सभी नियमों को एक साथ पढ़ने पर संचयी प्रभाव यह होता है कि यदि O. 21 R. 97 के तहत कोई आवेदन किया जाता है, तो उसका निर्धारण R. 101 के तहत होगा और फिर R. 103 आगे यह प्रावधान करता है कि जहां किसी भी आवेदन पर फैसला सुनाया गया

है। आर। 98 या 100, उस पर दिए गए आदेश में वही बल होगा और अपील या अन्यथा के लिए समान शर्तों के अधीन होगा जैसे कि यह एक डिक्री थी।

4. यदि यह मान भी लिया जाए कि तत्काल मामले में प्रश्न डिक्री के निष्पादन, निर्वहन या संतुष्टि से संबंधित हैं, तब भी प्रश्न उस अधिकार, शीर्षक या हित पर निर्भर करता है, जिसका दावा अपीलकर्ताओं ने विवाद में दुकान में किया था। अशोक कुमार द्वारा उनके पक्ष में कथित ताजा समझौता किया गया। इस प्रकार एस. 47 व ओ. 21 आर. 101 सी.पी.सी. विभिन्न स्थितियों पर विचार करें. धारा 47 सी.पी.सी. के तहत डिक्री के निष्पादन, निर्वहन या संतुष्टि से संबंधित सभी प्रश्नों का निर्धारण निष्पादन न्यायालय द्वारा किया जाना है, जबकि आर. 101 के तहत कार्यवाही के पक्षों के बीच संपत्ति में अधिकार, शीर्षक या हित से संबंधित प्रश्नों सहित सभी प्रश्नों का समाधान होना चाहिए। निष्पादन न्यायालय द्वारा निर्धारित. इस प्रकार दोनों प्रावधानों के बीच कोई विरोधाभास नहीं है जैसा कि अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया है। धारा 47 एक सामान्य प्रावधान है जबकि ओ. 21 आरआर. 97 और 101 एक विशिष्ट स्थिति से निपटते हैं। इसके अलावा, एस. 47 सभी प्रकार के डिक्री के निष्पादन से संबंधित है जबकि ओ. 21 आरआर। 97 और 101 केवल कब्जे के लिए डिक्री के निष्पादन से संबंधित हैं। इसके अलावा, पहले यानी संशोधन से पहले, धारा 47 सी.पी.सी. के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक आदेश अपील योग्य था (क्योंकि शर्तों 'डिक्री' में धारा 47 सी.पी.सी. के तहत आदेश शामिल था) जबकि अब केवल ओ. 21 के तहत दिए गए कुछ आदेशों को अपील योग्य बनाया गया है। अपीलकर्ताओं की ओर से जिन मामलों पर भरोसा किया गया, उनमें यह कहीं भी निर्धारित नहीं किया गया है कि ओ. 21, आर. 97 के तहत निर्धारित किए जाने वाले प्रश्नों को धारा 47 सी.पी.सी. के तहत तय किया गया माना जाएगा। यदि यह निर्णय-देनदार और डिक्री-धारक के बीच था। मामले को देखते हुए यह विवाद निरस्त किया जाता है। निचली अपीलीय अदालत ने सही पाया कि निष्पादन न्यायालय का आदेश सी.पी.सी. के ओ. 21, आर. 103 के तहत डिक्री के रूप में अपील करने योग्य था।

5. अगला तर्क यह दिया गया कि वर्ष 1975 में भाइयों के बीच कथित विभाजन, जिसे सिविल कोर्ट ने 6 अप्रैल, 1979 के डिक्री द्वारा घोषित किया था, एक दिखावटी लेनदेन था क्योंकि इस पर कभी कार्रवाई नहीं की गई थी। अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील के अनुसार उक्त डिक्री के बावजूद, मोचन के लिए वर्तमान मुकदमा सभी भाइयों की ओर से दायर किया गया था और अदालत के ध्यान में यह लाने का कोई प्रयास नहीं किया गया था कि केवल सुरिंदर कुमार ही डिक्री धारक थे। वह मोचन का हकदार है क्योंकि मुकदमे की संपत्ति विभाजन के कारण उसके हिस्से में आ गई थी। विद्वान वकील के अनुसार, डिक्री धारकों और सह-हिस्सेदार में से एक होने के नाते अशोक कुमार को संपत्ति को किराए पर देने का अधिकार था और इसके विपरीत निचली अपीलीय अदालत का निष्कर्ष गलत और अवैध था। इस संबंध में देवी दास बनाम मोहन लाल AIR 1982 SC 1213, श्री राम पसरीहा बनाम का संदर्भ दिया गया था। जगन्नाथ, एयर 1976 एससी 2335 और भरतू बनाम राम सरूप 1981 पुन एलजे 204 (एफबी)। हालाँकि, मुझे इस विवाद में भी कोई दम नहीं दिखता। स्वीकृत तथ्य यह है कि डिक्री धारकों के पिता

जय नारायण की मृत्यु 14 मार्च 1984 को हो गई थी। वह अपने पीछे छह बेटे छोड़ गए; चार बेटियाँ और एक विधवा। इससे पहले घोषणा के लिए एक मुकदमा 20 सितंबर, 1978 को दायर किया गया था जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि मृतक जय नारायण के केवल बेटे ही उनकी संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं और बेटियों और विधवा को इसमें कोई अधिकार नहीं था और उक्त मुकदमे का फैसला सुनाया गया था। . इसके तुरंत बाद, मृतक जय नारायण के छह बेटों ने 24 फरवरी, 1979 को मोचन के लिए मुकदमा दायर किया, जिस पर अंततः 2 अगस्त, 1980 को फैसला सुनाया गया। हालांकि, इस बीच भाइयों के बीच पारिवारिक विभाजन हो गया, जो पहले हो चुका था। , विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा था, इसलिए, उन्हें 5 मार्च, 1979 को घोषणा के लिए एक और मुकदमा दायर करना पड़ा। उक्त मुकदमे का फैसला 6 अप्रैल, 1979 को किया गया था। चूंकि मोचन के लिए मुकदमा पहले ही फरवरी में दायर किया जा चुका था। 24, 1979, पहले हुए विभाजन के संबंध में घोषणा के आदेश के बावजूद इसे वैसे ही जारी रखने की अनुमति दी गई थी। इन परिस्थितियों में, यह सफलतापूर्वक तर्क नहीं दिया जा सका कि भाइयों के बीच कथित बंटवारा एक दिखावटी लेनदेन था। इस प्रकार निचली अपीलीय अदालत सही निष्कर्ष पर पहुंची कि भाइयों के बीच संपत्ति के बंटवारे के परिणामस्वरूप, विवादित दुकान सुरिंदर कुमार डिक्री-धारक के हिस्से में आ गई थी, जो इसके विशेष मालिक बन गए थे। मुझे इसमें ऐसी कोई दुर्बलता या अवैधता नहीं मिली जिसके लिए इस दूसरी अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।

6. स्थिति का सामना करते हुए, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि उक्त विभाजन एक पूर्व-डिक्री मामला है, निष्पादन न्यायालय इसमें नहीं जा सकता क्योंकि यह डिक्री को संशोधित करने के बराबर होगा जिसे चाहा गया है निष्पादित। इस तर्क के समर्थन में, सहकारी बैंक, हरसाना कलां बनाम राम सरूप रवि दत्त, AIR 1953 पुंज 267 का संदर्भ दिया गया था; सरदारनी जसवन्त कौर बनाम सुरजीत इंदर सिंह सिबिया ILR (1972) 2 पुंज और amp; हर 271: और राजप्पा बनाम सागर कृष्णप्पा एंड संस, एआईआर 1974 कांत 51। मुझे इस विवाद में भी कोई दम नहीं दिखता। भाइयों के बीच विभाजन के प्रश्न को मोचन के लिए वर्तमान मुकदमे के पक्षों के बीच पूर्व-डिक्रीटल मामला नहीं कहा जा सकता है। यह डिक्री के पक्षकारों के बीच के वे मामले हैं, जो डिक्री पारित करने के लिए प्रासंगिक हैं, जिन्हें निष्पादन न्यायालय में पेश करने की मनाही है। वर्तमान मामले के तथ्यों के संबंध में स्थिति अलग है। यहां भाइयों के बीच विभाजन के संबंध में घोषणा की डिक्री, जहां आपत्तिकर्ताओं को पार्टियों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था, 6 अप्रैल, 1979 को पारित की गई थी, यानी मोचन के लिए डिक्री से पहले निष्पादित करने की मांग की गई थी। इस प्रकार यह सफलतापूर्वक तर्क नहीं दिया जा सका कि यह पार्टियों के बीच पूर्व-डिक्रीटल मामला था। डिक्री-धारकों ने यह साबित करने की कोशिश की कि अशोक कुमार डिक्री-धारक विवाद में संपत्ति को किराए पर देने का हकदार नहीं था क्योंकि वह पहले के विभाजन के कारण उक्त संपत्ति का मालिक या उसमें सह-हिस्सेदार नहीं था। अत: यह विवाद भी विफल हो जाता है।

7. तब यह तर्क दिया गया कि अशोक कुमार द्वारा निर्णय-देनदार-अपीलकर्ताओं के पक्ष में किरायेदारी बनाने के बाद, उन्होंने अशोक कुमार के स्थान पर कदम रखा और विभाजन के बिना उन्हें डिक्री-धारकों द्वारा बेदखल नहीं किया जा सकता है। की दरकार है। इस तर्क का समर्थन करने के लिए, साउथ ईस्टर्न रोडवेज बनाम सत्यनारायण (1982) 2 रेंट सी. आर. 362: (एयर 1982 उड़ीसा 167) का संदर्भ दिया गया था। यह याचिका अपीलकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि डिक्री धारकों के बीच विभाजन पहले ही हो चुका था और पहले के निष्कर्ष के अनुसार, अशोक कुमार संपत्ति को पट्टे पर देने के हकदार नहीं थे, जब वह सह-हिस्सेदार नहीं रहे। भाइयों के बीच बंटवारा.

8. अंत में यह तर्क दिया गया कि कब्ज़ा अशोक कुमार को दिया गया माना जाएगा जब उन्होंने अपीलकर्ताओं को अपनी ओर से और साथ ही अन्य सह-हिस्सेदारों की ओर से अपने किरायेदारों के रूप में स्वीकार कर लिया और इस प्रकार डिक्री संतुष्ट हो गई। विद्वान वकील के अनुसार, यह आवश्यक नहीं था कि डिक्री को निष्पादन के माध्यम से संतुष्ट किया जाए। इस तर्क में फिर से एक भ्रांति है। एक बार जब यह पाया गया कि अशोक कुमार परिसर को किराए पर देने में सक्षम नहीं थे, तो यह सवाल ही नहीं उठता।

9. डिक्री-धारक-प्रतिवादियों की ओर से, यह तर्क दिया गया कि नीचे के न्यायालयों द्वारा यह गलत माना गया है कि अशोक कुमार ने रसीद प्रदर्शनी ओ/1 निष्पादित की, जिसके आधार पर उन्होंने विवादित परिसर को सुरेश कुमार को किराए पर दे दिया। विद्वान वकील के अनुसार अशोक कुमार द्वारा बनाई गई उक्त रसीद या किरायेदारी की याचिका निर्णय-देनदारों द्वारा पहले कभी नहीं ली गई थी जब उन्होंने 25 फरवरी, 1981 को एक आपराधिक शिकायत दायर की थी और न ही उस समय जब निष्पादन के लिए प्रतिरोध दिखाया गया था। डिक्री का. इस प्रकार विद्वान वकील ने तर्क दिया, कहानी पर बाद में विचार किया गया और तथाकथित रसीद प्रदर्शनी ओ/1 केवल स्थिति को पूरा करने के लिए बनाई गई थी। किसी भी मामले में, इस निष्कर्ष के मद्देनजर कि वर्ष 1975 में भाइयों के बीच विभाजन के कारण अशोक कुमार परिसर को किराये पर देने में सक्षम नहीं थे, इस प्रश्न पर इस दूसरी अपील में विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

10. उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, यह अपील विफल हो जाती है और जुर्माने के साथ खारिज कर दी जाती है।

11. अपील खारिज.

अस्वीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अमित

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

नूह, हरियाणा